

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 78/2020 राजस्व अपील

1. जगदीश पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.08.2020 नायब तहसीलदार सिकराय मुकदमा नम्बर 79/2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम जगदीश अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 29.01.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने सम्वत 2077 में ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि खसरा नं. 1109/18 कुल रकबा 24.44 है. किस्म चरागाह में से 0.25 है. भूमि पर मूंगफली की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्त की तामील हुए बिना एवं अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना दिनांक 14.08.2020 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्त पर शास्ति आरोपित करते हुए 60 दिन के सिविल कारावास सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय के सामान्य प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन किये बिना यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया जुर्म के साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भी अपीलान्त को दोषी मानते



Handwritten signature and stamp of the District Collector, Dausa, Rajasthan.

प्रकरण संख्या : 78 / 2020 राजस्व अपील
हुए दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया। अपीलान्त ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधिवक्ता अपीलान्त ने ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है। भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिये जाने का मौखिक रूप से निवेदन करते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 14.08.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है। भूमि पर मूंगफली की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.08.2020 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है जो कि बार-बार अतिक्रमण कर लेता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा मौके पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने का मौखिक रूप से निवेदन करने पर नायब तहसीलदार सिकराय से अतिक्रमण हटा लिये जाने बाबत मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। नायब तहसीलदार सिकराय ने अपनी मौका रिपोर्ट में अपीलान्त का मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा मुकदमा नम्बर 79/2020 सरकार बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(लोकाेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकाेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

